फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 160/2022 शीर्षक राज्य सरकार बनाम कैलाश व अन्य

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.
28/01/2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 02 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए। अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 02 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब का अवसर बन्द करने के आदेश दिए गए। प्रार्थी पैरोकार सरकार ने बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थी पैरोकार सरकार ने मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी पैरोकार सरकार का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम पारडी पटवार मण्डल पारडी के आराजी संख्या 281 रकबा 0.5700 हैक्टेयर भूमि के वर्तमान मौका व रिकॉर्ड कि यथास्थिति मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक बनाये रखने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 को पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।	